राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प06(२२)खान / ग्रुप–1 / 2016 जयपुर, दिनांक : 19.12.2016

आदेश

खनि अभियन्ता ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, झुझुनू (तत्कालीन) श्री अनिल कुमार खिमेसरा द्वारा, श्री राकेश मोर्दिया पुत्र श्री परसराम मोरदिया (खनन पट्टा संक्ष्या 367 / 2006) तथा मैसर्स एम.जी.एम. स्टोन एग्रीगेट्स प्राईवेट लिमिटेड (खनन पट्टा संख्या 368 / 2006) दोनों पट्टेधारियों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन, बिना रवन्ना के खनिज का निर्गमन, मार्बल पॉलिसी 2002 के अनुसार मशीनरी नहीं पाये जाने आदि कमियों के कारण जारी नोटिस दिनांक 05.04.2012 की पालना नहीं होने पर भी, मांग कायम नहीं करने एवं खनन पट्टा खण्डित नहीं किये जाने के दोषी होने के कारण एवं इसी प्रकरण में अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर सक्षम अधिकारी न होते हुए भी खनिज का समावेश किया जाना, खनि का समावेश कर पट्टेधारी को अनुचित लाभ पहुँचाना तथा अपील में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित करने एवं पट्टेधारी द्वारा लगातार अवैध खनन के उपरान्त भी चेतना पत्र निरस्त कर मांग को खतम करने के लिये दोषी होने के कारण श्री राकेश कुमार हीरात को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

निलम्बन अवधि के दौरान श्री राकेश कुमार हीरात, अतिरिक्त निदेशक(खान) एवं श्री अनिल कुमार खिमेसरा, अधीक्षण खनि अभियन्ता का मुख्यालय, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा ।

राज्यपाल महोदय के आदेश से

(इकबाल)
संयुक्त शासन सचिव

...............2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खनिज राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उक्त निलम्बन के संबंध में माननीय खनिज राज्य मंत्री महोदय (स्वतन्त्र प्रभार) द्वारा दिये गये अनुमोदन से संबंधित नोटशीट की प्रमाणित छाया प्रति उक्त निलम्बन की पुष्टि किये जाने के संबंध में प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त दोनों निलम्बित अधिकारियों को यह आदेश तत्काल सपुर्द कर पावती रसीद भिजवाने एवं इनसे संबंधित कार्य के संचालन हेतु अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य दिये जाने के प्रस्ताव तत्काल भिजवाये ।
6. श्री राकेश कुमार हीरात, अतिरिक्त निदेशक(खान), खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें । उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे शासन सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडें ।
7. श्री अनिल कुमार खिमेसरा, अधीक्षण खनि अभियन्ता–तृतीय (अप्रधान), मुख्यालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें । उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे शासन सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडें ।
8. कार्मिक (क–1 / गो.प्र.), कार्मिक(क–3 / शिकायत), कार्मिक(क–3 / जॉच) विभाग।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली ।

9/XII/16

संयुक्त शासन सचिव